भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †253
उत्तर देने की तारीख 24.06.2019

पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों के लिए कल्याण योजनाए

†253. डॉ॰ टी॰आर॰ पारिबेन्धरन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) देश भर में पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के कल्याण हेतु केंद्र सरकार द्वारा कुल कितनी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;
(ख) क्या केंद्र सरकार तमिलनाडु के पैरम्बलूर जिले के पंचामलाई पहाड़ों में रह रहे नजातीय लोगों को पेय जल सुविध चिकित्सा सुविधाएं और सड़क संपर्क सुविधएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों की एक सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख) तथा (घ): सरकार ने पूरे देश में रह रहे जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है जिसमें शिक्षा आजीविका आदि शामिल ,कौशल विकास ,जलापूर्ति ,स्वच्छता ,स्वास्थ्य , अंचलों में अवसंरचना विकास का प्रमुख भाग तथा आधारभूत सुविधाओं का/ है। देश में जनजातीय क्षेत्रों प्रावधान संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा स◌ंबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों कार्यक्रमों के माध्यम से/ जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय संवेदनशील अंतरों को भरने के रुप में इन पहलों के लिए , किया जाता है |अपना योगदान प्रदान करता है

अधिकांश योजनाएं / गतिविधियां मांग आधारित है। चल रही स्कीमों / कार्यक्रमों के तहत अनुदान मांगने वाले राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करना एक नियमित घटना है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के समक्ष मूल्यांकन के लिए रखा जाता है तथा स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों / मानदंडों के अनुसार राज्य की वार्षिक योजना का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

कुछ स्कीमों जैसे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए निधियों का अंशदान वर्ष 2014-15 से केंद्र एवं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के बीच 75:25 के अनुपात में है तथा उत्तर-पूर्व एवम् विशेष वर्ग के राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए 90:10 के अनुपात में है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में ईएमआरएस के निर्माण के लिए मंत्रालय द्वारा 20% अतिरिक्त निधियां प्रदान की जाती है। मंत्रालय द्वारा राज्य

सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को योजना -वारा निधियां निर्मुक्त की जाती है और न की जिला -वार या राज्य-वार की जाती है।

******

अनुलग्नक

'पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों के लिए कल्याण योजनाएं ' के संबंध में डॉ . टी.आर.पारिबेनधरन द्वारा दिनांक 24.06.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रशन सं 253 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीम/कार्यक्रमों की सुची

क्र.सं.	स्कीमों/कार्यक्रमों के नाम
1	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
2	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
3	अजजा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
4	अजजा के विद्यार्थियों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति (क) उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (पहले अनुसूचित जनजातीय के विद्यार्थियों के लिए उच्च् स्तरीय शिक्षा के रूप में जानी जाती थी) (ख) अध्येतावृति (पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृति योजना के रूप में जाना जाता है)
5	अजजा के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
6	कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा की बालिकाओं की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
7	अति संवेदनशील जनजातीय वर्ग (पीवीटीजी)
8	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान
9	जनजातीय उप-स्कीम (टीएसएस) को विशेष केंद्रीय सहायता(एससीए)
10	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान
11	जनजातीय वन उत्पाद/उपज के विकास तथा विपणन के लिए मूल्य श्रृंख्ला का विकास
12	राष्ट्रीय /राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
13	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)के माध्यम से लघु वन उत्पाद(एमएफपी) तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के विपणन हेतु तंत्र
14	अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय महोत्सव और अन्य